



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 चैत्र 1944 (श10)
(सं0 पटना 128) पटना, सोमवार, 28 मार्च 2022

fcgkj fo/kku lHkk lfpoky;

अधिसूचना

26 मार्च 2022

सं० वि०सं०वि०-03/2022-1352@foElE—“बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक 26 मार्च, 2022 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
शैलेन्द्र सिंह,
सचिव।

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022

Hkkjr&x.kjT; d frgÜkjo o" e fcgkj jkT; fo/kku eMy }kj fuEufyf[kr : i e ; g
vf/kfu;fer qk&

(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 01 अप्रील 2022 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

2- 31 एप्रिल 2023 तक लेखर गकु ओयि ओ"क दि फ़, फ़ग़क़ ज़क़; दह लफ़र फ़फ़/क ए ल दि य 241206[95][35][000 नक़ यक़[क़ ब़द़रक़य़ह़ ल ग़क़ नक़ ल क़ नग़ द़क़म़ इप़कुओ यक़[क़ इरह़ ल ग़क़]½ #i; दह फ़द़क़ लह़A& बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले अनेक भागों की पूर्ति के लिए अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अनधिक राशियाँ, जो कुल 241206,95,35,000 (दो लाख इकतालीस हजार दो सौ छह करोड़ पचानवे लाख पैंतीस हजार) रुपये तक होंगी, शोधित और उपयोजित की जा सकेंगी।

3- *fofu;kx A&* इस अधिनियम द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि में से शोधित और उपयोजित करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें 31वीं मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के निमित्त विनियोजित किया जायेगा ।

અનુસૂચી

(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
01	कृषि विभाग	राजस्व	30543136000	0	30543136000
		पूँजी	53000000000	0	53000000000
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	15896882000	0	15896882000
		पूँजी	0	0	0
03	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	8591274000	0	8591274000
		पूँजी	41019934000	0	41019934000
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	3185044000	0	3185044000
		पूँजी	1961600000	0	1961600000
05	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	0	366356000	366356000
		पूँजी	0	0	0
06	निर्वाचन विभाग	राजस्व	3110626000	0	3110626000
		पूँजी	0	0	0

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
07	निगरानी विभाग	राजस्व	455495000	0	455495000
		पूंजी	0	0	0
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	1765264000	0	1765264000
		पूंजी	0	0	0
09	सहकारिता विभाग	राजस्व	12201947000	0	12201947000
		पूंजी	661179000	0	661179000
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व	98629404000	0	98629404000
		पूंजी	16130300000	0	16130300000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	18403605000	0	18403605000
		पूंजी	335000000	0	335000000
12	वित्त विभाग	राजस्व	3271523000	13110280000	16381803000
		पूंजी	7830600000	0	7830600000
13	सूद भुगतान	राजस्व	0	163050446000	163050446000
		पूंजी	0	0	0
14	ऋण अदायगियाँ	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	146700325000	146700325000
15	पेंशन	राजस्व	242338514000	184400000	242522914000
		पूंजी	0	0	0
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	94714119000	0	94714119000
		पूंजी	3300000000	0	3300000000
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	1759704000	0	1759704000
		पूंजी	0	0	0
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	10099510000	0	10099510000
		पूंजी	1750018000	0	1750018000

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	राजस्व	6228476000	0	6228476000
		पूंजी	4000000000	0	4000000000
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	143725571000	0	143725571000
		पूंजी	17618297000	0	17618297000
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	384822609000	0	384822609000
		पूंजी	7096100000	0	7096100000
22	गृह विभाग	राजस्व	136817513000	0	136817513000
		पूंजी	6910066000	0	6910066000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	10302916000	0	10302916000
		पूंजी	6134500000	0	6134500000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	2378129000	0	2378129000
		पूंजी	0	0	0
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	1698260000	0	1698260000
		पूंजी	6200000000	0	6200000000
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	8147994000	0	8147994000
		पूंजी	1325000000	0	1325000000
27	विधि विभाग	राजस्व	10602998000	0	10602998000
		पूंजी	0	0	0
28	उच्च न्यायालय	राजस्व	0	2053083000	2053083000
		पूंजी	0	0	0
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	491854000	0	491854000
		पूंजी	0	0	0
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	2834856000	0	2834856000
		पूंजी	2870000000	0	2870000000

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	अनधिक राशियाँ (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	92782000	0	92782000
		पूँजी	0	0	0
32	विधान मंडल	राजस्व	2532413000	14614000	2547027000
		पूँजी	0	0	0
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	7779588000	64237000	7843825000
		पूँजी	0	0	0
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	436675000	436675000
		पूँजी	0	0	0
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	9036570000	0	9036570000
		पूँजी	12841600000	0	12841600000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	9203329000	0	9203329000
		पूँजी	14600500000	0	14600500000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	29176910000	0	29176910000
		पूँजी	76942700000	0	76942700000
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	राजस्व	2646010000	0	2646010000
		पूँजी	0	0	0
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	72127393000	0	72127393000
		पूँजी	0	0	0
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	12528615000	0	12528615000
		पूँजी	795502000	0	795502000
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	19981350000	0	19981350000
		पूँजी	38208900000	0	38208900000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	154204656000	0	154204656000
		पूँजी	3600000000	0	3600000000

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	3707390000	0	3707390000
		पूंजी	2229100000	0	2229100000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	17275989000	0	17275989000
		पूंजी	20000000	0	20000000
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	1200411000	0	1200411000
		पूंजी	0	0	0
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	1713946000	0	1713946000
		पूंजी	1550000000	0	1550000000
47	परिवहन विभाग	राजस्व	3621797000	0	3621797000
		पूंजी	320000000	0	320000000
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	80259409000	0	80259409000
		पूंजी	1500000000	0	1500000000
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	11170879000	0	11170879000
		पूंजी	31934800000	0	31934800000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	2276770000	0	2276770000
		पूंजी	7958700000	0	7958700000
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	81890790000	0	81890790000
		पूंजी	120503000	0	120503000
योग राजस्व			1775444220000	179280091000	1954724311000
योग पूंजी			310644899000	146700325000	457345224000
महायोग			2086089119000	325980416000	2412069535000

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य की संचित निधि से कोई राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। विधि में यह व्यवस्था है कि

(क) विधान सभा द्वारा पारित किये गये अनुदानों, और

(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित कुल राशि राज्य की संचित निधि में से विनियोजित की जायगी।

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य है कि राज्य की संचित निधि में से कुल 241206,95,35,000 (दो लाख इकतालीस हजार दो सौ छह करोड़ पचानवे लाख पैंतीस हजार) रुपये, शोधन और विनियोग प्राधिकृत किया जाय, ताकि 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में शोधन के दौरान आने वाले भारों की पूर्ति की जा सके।

तारकेशोर प्रसाद,
भार-साधक सदस्य।

पटना
दिनांक-26.03.2022

शैलेन्द्र सिंह,
सचिव
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 128-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>